फा. सं. 213/8/2020-प्रशा.II
भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

ब्लॉक-14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 08.02.2022

विषय:- **<u>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में कार्यालय स्थल का सेनिटाइजेशन</u>**

अधोहस्ताक्षरी को कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, दिल्ली में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय स्थल और वाहनों का सेनिटाइजेशन करने के लिए कोटेशन (दर सूची) आमंत्रित करने का निदेश हुआ है; जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	**ब्लॉक**	**कार्यालय स्थान**	**क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)**
1.	ब्लॉक सं. 14	भूतल, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स	16437
2.		प्रथम तल	
3.		द्वितीय तल	
4.	ब्लॉक सं. 3	प्रथम तल	9415
5.	पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन	9वां तल (बी-3 विंग)	11739
6.		10वां तल (बी-3 एवं बी-4 विंग)	
		कार्यालय स्थल का कुल क्षेत्रफल	**37,591 वर्ग फीट**
		वाहनों की कुल संख्या	**15**

i. कार्यालय स्थल का कुल क्षेत्रफल = 37591 वर्ग फुट
ii. वाहनों की कुल संख्या = 15

2. कंपनी के लेटर हेड पर टंकित रूप में कोटेशन, जो विधिवत हस्ताक्षरित हो और जिस पर जीएसटी के ब्यौरे, यदि कोई हो, सहित निर्धारित प्रोफार्मा पर कंपनी का मुहर/सील लगी हो, उस सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर साफ-साफ **"नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में कार्यालय स्थल और वाहनों के**

सेनिटाइजेशन के लिए कोटेशन" लिखा हुआ हो, दिनांक 28.02.2022 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। जो निविदाकर्ता मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए मंत्रालय का दौरा करने के इच्छुक हों, से अनुरोध है कि वे कंपनी के प्राधिकार-पत्र और वैध आईडी कार्ड के साथ प्रशासन-**II** अनुभाग में संपर्क करें।

3. संविदा की निबंधन एवं शर्तें नीचे दिए अनुसार होंगी:

क.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी नवीनतम दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

ख.) सीजीओ कॉम्पलेक्स के भीतर कार्यालय के सभी स्थानों को सप्ताह में छः दिन पूरी तरह सेनिटाइज करना होगा।

ग.) सेनिटाइजेशन करने के लिए अपेक्षित रसायन, उपकरण और अन्य सामान वेंडर को स्वयं लाना होगा और ये सामान मंत्रालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। सफाई के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां और अन्य वस्तुएं सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों के विनिर्देशनों/ब्रांड/मेक के अनुरूप होंगी। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन करना होगा।

घ.) सभी स्थानों का सेनिटाइजेशन करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। वेंडर को सेनिटाइजेशन करने के लिए अपनी सामग्री, सेनिटाइजिंग लिक्विड और अन्य वस्तुओं के साथ स्थान पर पहुंचने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

ङ) यह निविदा **1 वर्ष** के लिए होगी जिसे अपेक्षित होने पर बढ़ाई जा सकती है। जब तक करार सेवाओं में कमी, उपयोग की गई सामग्री की निम्न स्तर की गुणवत्ता, संविदा भंग आदि अथवा आवश्यकता में परिवर्तन के कारण प्राधिकारी द्वारा करार को कम या समाप्त नहीं कर दिया जाता है, यह करार के प्रभावी होने की तारीख से लागू होगा। तथापि, मंत्रालय को बिना कोई कारण बताए लिखित में एक सप्ताह का नोटिस देकर निविदा समाप्त होने की तारीख से पहले किसी भी समय निविदा को समाप्त करने का प्राधिकार होगा। इस मंत्रालय के विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

च.) फर्म द्वारा बताई गई दर संविदा/निविदा अवधि की संपूर्ण अवधि के लिए एक समान रहेगी और किसी भी कारणवश दर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

छ.) मंत्रालय अपने विवेकानुसार सेनिटाइज किए जाने वाले क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है।

ज.) सेवा प्रदाता साप्ताहिक आधार पर क्रेता से हस्ताक्षरित संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

झ.) उपर्युक्त कार्यालय स्थल में कक्ष, समिति कक्ष, हॉल, कॉरिडोर, सीढ़ियां, लिफ्ट, प्रसाधन कक्ष और कार आदि शामिल हैं।

ञ.) सेवा प्रदाता को सेनिटाइजेशन कार्य के लिए अनुभवी एवं कुशल कामगार लगाने होंगे। सेनिटाइजेशन कार्य कार्यालय समय, अर्थात 5:30 अपराह्न के पश्चात शुरु किए जाएंगे।

ट.) सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा के लिए, क्रेता कार्यालय को संविदा के समय सभी कर्मचारियों की सूची के साथ साथ, पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा। लगाए गए कर्मचारी चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने चाहिए। सेनिटाइजेशन का कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के शारीरिक तापमान के माप प्रतिदिन लिए जाने चाहिए। कोई कर्मचारी जिसे कफ, सर्दी, अधिक

शारीरिक तापमान आदि का लक्षण हो तो, उसके स्थान पर दूसरे कर्मचारी के, कोरोना वायरस अथवा कोई अन्य संक्रामक रोगों के संभावित प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगाना होगा।

ठ.) मंत्रालय / क्रेता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, किसी विशेष क्षेत्र / कक्ष / समिति कक्ष आदि को कई बार सेनिटाइज या फ्यूमिगेट किया जा सकता है। इसका अनुपालन एवं निष्पादन किया जाना चाहिए।

ड.) सेवा प्रदाता किसी भी रूप में किसी उप-सेवा प्रदाता को कार्य पर नहीं रखेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति / कंपनी को संविदा का अंतरण नहीं करेगा अथवा नहीं सौंपेगा।

ढ.) इस संविदा से संबंधित किसी विवाद के मामले में इस मंत्रालय का निर्णय अंतिम और कंपनी पर बाध्यकारी होगा।

न.) इसके लिए भुगतान मासिक आधार पर, वास्तविक रूप से सेनिटाइज किए गए क्षेत्र (वर्ग फुट में) के अनुसार किया जाएगा जिसके लिए हर तरह से पूर्ण बिल अगले माह की 5 तारीख तक अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

त.) क्रेता कार्यालय के पास किसी भी समय सफाई किए जाने वाले स्थल का निरीक्षण करने के साथ साथ संगठन को आवश्यकतानुसार आदेश एवं निदेश जारी करने का अधिकार होगा। संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आदेशों का अनुपालन तत्काल किया गया है।

थ.) फर्म का अंतिम तीन वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख रु. से अधिक का वार्षिक टर्न ओवर होना चाहिए।

द.) कोटेशन प्रस्तुत करते समय बोलीदाता को इस दस्तावेज में बताए गए सभी निबंधन एवं शर्तों को पढ़ना, समझना एवं स्वीकार करना होगा और कोई भी वांछित परिवर्तन इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाएगा। इस आशय का स्व-प्रमाणन किया जाएगा कि विगत तीन वर्षों में किसी मंत्रालय/विभाग अथवा सरकारी संगठन द्वारा उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है / काली सूची में शामिल नहीं किया गया है।

ध.) पात्र फर्म द्वारा इस मंत्रालय को संविदा के मूल्य के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। यदि कंपनी की सेवाएं किसी भी रूप में असंतोषजनक पाई जाती हैं और / अथवा संविदा की किसी शर्तों का उल्लंघन / भंग और / अथवा फर्म / संगठन / इनके कर्मचारियों द्वारा लापरवाही के कारण सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो, यह निष्पादन सिक्युरिटी जब्त कर ली जाएगी।

न.) यदि कंपनी इस मंत्रालय की स्पष्ट सहमति के बिना बीच में ही संविदा का परित्याग करता है तो भी यह निष्पादन सिक्युरिटी भी जब्त की जा सकती है।

प.) जीएफआर 2017 के नियम 162 की शर्तों के अनुसार, अनचाही बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

4. वेंडर द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज (स्व-प्रमाणित) प्रस्तुत किए जाने चाहिए:-

क.) फर्म को जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

ख.) पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।

ग.) इस आशय का प्रमाणन कि फर्म को पूर्व में किसी मंत्रालय / विभाग द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है / काली सूची में शामिल नहीं किया गया है।

घ.) विगत तीन वर्षों के लिए किसी चार्टरित एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण-पत्र।

ङ) विधिवत हस्ताक्षरित विवरण, जिसमें सेनिटाइजेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन के संयोजन, सामग्री और यंत्रों को दर्शाया गया हो।

च.) अनुलग्नक-क में स्थित प्रोर्फामा विधिवत भरा गया हो।

(सुनीता धेवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 011-24361932

प्रतिः एनआईसी को इसे वेबसाइट – नोटिस बोर्ड पर डालने के लिए।

<u>अनुलग्नक-क</u>

<u>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय स्थल के सेनिटाइजेशन का कोटेशन (दर सूची)</u>

- फर्म का नामः ____
- पताः ____
- संपर्क विवरणः
    - मोबाइल सं. _________________________
    - ई-मेल आईडीः ___________________________________
- निबंधन एवं शर्तें स्वीकार हैः हां / नहीं
- उद्धरित दर: ___________ रु. प्रति वर्ग फुट और __________ रु. प्रति वाहन

  (उद्धरित दशमलव के बाद अधिकतम 2 स्थान तक अनुमत)

(हस्ताक्षर एवं मुहर)